No.RT-11014/01/2026-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(MVL Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 06th November, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Seeking Comments from Stakeholders on the draft notification regarding supersession of The Rent-A-Cab Scheme, 1989- reg.

The undersigned is directed to refer to the above-mentioned subject and say that the Ministry is in the process for formulating The Rent-A-Cab Scheme, 2026 in supersession of the erstwhile Scheme of 1989.

2. In this regard, the draft notification (**copy enclosed**) is being placed on the Ministry's website for a period of 30 days for inviting comments from the stakeholders.

3. All stakeholders are, therefore, requested to furnish their comments, if any, in a tabular form (in a MS word format), clearly indicating the paragraph/column number, orginal content and the suggested change along with reason w.r.t. the original content, **latest by 05.12.2026.** The comments may be sent by email to **comments-morth@gov.in.**

4. This issues with the approval of Competent Authority.

06/11/26

(Ankit Dugar)
Director (MVL)
Tel: 011- 23718575
Email id- ankit.dugar1986@gov.in

Encl: As above

To

i. NIC/IT Cell - with the request to upload the draft notification on the Ministry's website.

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

दिनांक नवंबर, 2026

अधिसूचना

का.आ.(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 75 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 जून, 1989 को संख्या का.आ. 437(अ) द्वारा जारी कैब किराए पर देने की स्कीम, 1989 को अधिक्रमित करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कैब किराए पर देने की स्कीम, 2026 है।

(2) यह 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ— इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इस स्कीम के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्ति" से इस स्कीम के अधीन मोटर कैब किराए पर देने के कारबार में संलग्न होने के लिए प्रदान किए गए या नवीनीकृत किए गए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है—

(i) मोटर कैब को अपने निजी उपयोग के लिए संचालन का आशय रखते हुए; या

(ii) चालक की सेवाओं सहित मोटर कैब को उसके स्वयं के उपयोग के लिए किराए पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता;

(घ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "संचालन स्थल" में हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल स्टेशन, बस टर्मिनल और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल हैं;

(च) "किराएदार" से ऐसे व्यक्ति से है जो इस स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति का धारक से अपने स्वयं के उपयोग के लिए, चालक की सेवाओं के साथ या उसके बिना, मोटर कैब किराए पर लेता अभिप्रेत है;

(छ) "नियम" से केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 अभिप्रेत है।

3. इस स्कीम के तहत आवेदक का अनुज्ञप्ति— इस स्कीम के तहत जारी अनुज्ञप्ति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रयोक्ता के अनुरोध पर चालक सहित या उसके बिना मोटर कैब किराए पर देने का कारबार नहीं करेगा।

4. अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन— (1) मोटर कैब किराए पर देने का कारबार संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्थित है जिसमें आवेदक उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर संचालन स्थल स्थापित करना चाहता है और इसके साथ पच्चीस हजार रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न होगा, चाहे प्रस्तावित मोटर कैब या संचालन स्थलों की संख्या कितनी भी हो।

(2) प्ररूप 1 के अधीन आवेदन में उस स्थल या उन सभी स्थलों का उल्लेख किया जाएगा जहाँ आवेदक मोटर कैब किराए पर देने का कारबार संचालित करना चाहता है।

5. आवेदन पर विचार करने की शर्तें— अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने से पहले, अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(i) आवेदक के पास कम से कम एक ग्राहक सेवा केंद्र है जो दिन-रात टेलीफोनके माध्यम से सुलभ है, और उसने अपनी वेबसाइट पर ऐसे ग्राहक सेवा केंद्र का विवरण प्रदान किया है;

(ii) आवेदक के पास प्रत्येक संचालन स्थल पर कम से कम दो मोटर कैब तैनात हों और वह कुल मिलाकर कम से कम पांच मोटर कैब रखता हो;

(iii) आवेदक, प्रत्येक मोटर कैब के संबंध में—

(क) लागू मोटर वाहन कर का भुगतान कर दिया है;

(ख) आवेदक के नाम पर जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ-साथ वैध फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए;

(ग) आवेदक ने एक व्यापक बीमा पॉलिसी प्राप्त की है जिसमें मोटर कैब के किराएदार, चालक या किसी अन्य यात्री को मोटर कैब की यात्री क्षमता तक कवर किया गया है;

(घ) अधिनियम के तहत किसी अपराध या उल्लंघन से संबंधित कोई लंबित चालान, नियमावली के नियम 167 में निर्दिष्ट समय अवधि से परे, या कोई अवैतनिक प्रयोक्ता शुल्क, यदि कोई हो, तो लंबित नहीं है;

(ङ) यह सत्यापित करता है कि ऐसी मोटर कैब राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के पुलिस आपराधिक डेटाबेस में सूचीबद्ध नहीं है; और

(च) मोटर कैब के पहले पंजीकरण की तारीख से नौ वर्ष पूरे नहीं किए हैं।

(iv) आवेदक ने उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किराएदार को मरम्मत और टोइंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वाहन मरम्मत और टोइंग सेवाओं को नियुक्त किया है।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करना या नवीकरण करना— अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आवेदक ने सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाला प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप 3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत कर सकता है:

बशर्ते कि यदि इस स्कीम के अधीन आवेदक को पहले से दिया गया कोई अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया हो और आवेदन ऐसे रद्द होने की तारीख से छह महीने के भीतर किया गया हो, तो अनुज्ञप्ति प्रदान या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि पैरा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करने की कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा;

इसके अलावा, यदि अनुज्ञप्ति का धारक ने इस स्कीम के पैरा 9 के तहत अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा;

इसके अलावा, अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में न दिए गए हों।

7. संचालन स्थलों और मोटर कैबों को शामिल करना या हटाना— (1) अनुज्ञप्ति का धारक किसी संचालन स्थल या स्थलों को शामिल करने या हटाने के लिए, या ऐसे संचालन स्थलों पर तैनात किए जाने वाले मोटर कैबों की संख्या के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप 2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(2) उप-पैरा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे संचालन स्थलों या मोटर कैबों को शामिल करने या हटाने की अनुमति देगा या अस्वीकार करेगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी शामिल है:

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, इस स्कीम के तहत संचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त मोटर कैबों की संख्या पांच से कम नहीं होगी;

इसके अलावा, उप-पैरा (1) के तहत किए गए आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने में विफल रहता है;

इसके अलावा, इस पैरा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का धारक द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्धन या विलोपन के लिए दिए गए आवेदन को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो और अस्वीकृति के कारण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान न किए गए हों।

8. अनुज्ञप्ति की अवधि— पैरा 6 के अधीन प्रदान किया गया या नवीनीकृत किया गया अनुज्ञप्ति, प्रदान किए जाने या नवीकरण की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा:

बशर्ते कि अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि एक वर्ष की अवधि तक कम कर दी जाएगी, या यदि शेष अवधि एक वर्ष से कम है तो शेष वैधता अवधि तक कम कर दी जाएगी, यदि अनुज्ञप्ति का धारक द्वारा रखी गई कोई मोटर कैब या अनुज्ञप्ति का धारक द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई चालक अधिनियम की धारा 180, धारा 185, धारा 190, धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख या धारा 196 के तहत कोई अपराध या उल्लंघन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

9. अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा पालन की जाने वाली सामान्य शर्तें— अनुज्ञप्ति का धारक को निम्नलिखित का पालन करना होगा:-

(i) वाहन पोर्टल पर एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखना, साथ ही साथ ऐसे वाहन के लिए एक अलग पृष्ठ वाला भौतिक रजिस्टर जिसमें प्ररूप 4 में निर्दिष्ट विवरण शामिल हों;

(ii) कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी जानकारी प्रदान करना, जिसमें मोटर कैब, किराएदार और किराएदार द्वारा मोटर कैब किराए पर लेने के परिणामस्वरूप प्राप्त अन्य विवरण शामिल हों, जैसा कि उन्हें लागू कानून के अनुसार आवश्यक हो;

(iii) समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसी जानकारी और प्रतिफल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना या प्रदान करना, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा मांगा जा सकता है;

(iv) एक वेबसाइट बनाए रखना और ऐसी वेबसाइट पर किराएदार की शिकायतों के निवारण के लिए नाम, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराना;

(v) यह सुनिश्चित करना कि वेबसाइट पर दर्ज की गई किसी भी शिकायत का समाधान चौबीस घंटे की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(vi) अधिनियम, नियमों या इस स्कीम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किसी किराएदार द्वारा चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज होने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति का धारक, शिकायत दर्ज होने की तिथि से सात दिनों के भीतर जांच करेगा और ऐसी जांच पूरी होने के बाद ही चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा। अनुज्ञप्ति का धारक उक्त जांच पूरी होने पर किराएदार को उसके परिणाम की सूचना देगा;

(vii) उपयोग के दौरान किराएदार द्वारा जब भी आवश्यकता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाहन मरम्मत और टोइंग सेवाएं प्रदान करना, जिसमें किसी भी प्रकार की खराबी शामिल है;

(viii) केवल ऐसे व्यक्ति को ही किराए पर लेने की अनुमति दी जाएगी जिसके पास वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति हो, जब तक कि किराएदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर किराएदार को चालक उपलब्ध न कराया जाए या किराएदार द्वारा अनुज्ञप्ति का धारक के अलावा किसी अन्य वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति धारक चालक को नियुक्त न किया जाए;

(ix) केवल उन्हीं संचालन स्थलों पर मोटर कैब किराए पर देना जिनके लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई हो;

(x) यह सुनिश्चित करना कि अनुज्ञप्ति का धारक द्वारा अनुरक्षित मोटर कैब,-

(क) नियमावली के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाए;

(ख) बैठने की कम से कम एक स्थिति पर सभी भार समूहों के लिए कम से कम एक श्रेणी की बाल सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान हो और ऐसी बाल सुरक्षा प्रणाली किसी भी किराएदार को प्रदान की जाए जिसे इसकी आवश्यकता हो;

(ग) नियमावली के नियम 125-ज के अनुसार वाहन स्थल ट्रैकिंग उपकरण से सुसज्जित हों;

(घ) राज्य सरकार द्वारा राज्य या राज्य के किसी शहरी क्षेत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट किए गए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करना, जिसमें शहर-विशिष्ट ईंधन मानदंड भी शामिल हैं; और

(ङ) मोटर कैब के अंदर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाए;

(xi) यह सुनिश्चित करना कि किराएदार द्वारा अनुरोध किए जाने पर किराएदार को उपलब्ध कराया गया कोई भी चालक,-

(क) उसके पास वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति है और उस चालक के विरुद्ध कोई बकाया चालान नहीं है; और

(ख) पुलिस द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाए और ऐसे सत्यापन का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए; और

(ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत उनका कल्याण सुनिश्चित किया गया है।

10. मोटर कैब किराए पर लेने वालों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व— (1) प्रत्येक किराएदार का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वाहन का स्थल और ट्रैकिंग उपकरण सदैव क्रियाशील रहे और वाहन का अवस्थान और ट्रैकिंग उपकरण खराब या कार्य न करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति का धारक को तुरंत सूचित करे।

(2) यदि कोई किराएदार चाहे तो वह किराये के समझौते की अवधि के दौरान किराए पर लिए गए वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

11. अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्ति— (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, या तो स्वयं या किसी शिकायत की प्राप्ति पर, जांच करने और अनुज्ञप्ति का धारक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि संतुष्ट हो कि अनुज्ञप्ति का धारक ने इस स्कीम के किसी प्रावधान या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया है,

(क) यदि ऐसे उल्लंघन को मामूली उल्लंघन घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें ऐसे जुर्माने के लिखित कारण बताए जाएंगे और शिकायत प्राप्त होने या कार्रवाई शुरू होने के दस दिनों के भीतर ऐसे मामूली उल्लंघन को ठीक करने की समयावधि निर्दिष्ट की जाएगी; या

(ख) यदि ऐसे उल्लंघन को गंभीर उल्लंघन घोषित किया जाता है, या यदि खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी मामूली उल्लंघन का निवारण नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है, या अनुज्ञप्ति को अधिकतम तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है, या उल्लंघन का निवारण संतोषजनक ढंग से होने तक निलंबित किया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है, और ऐसे जुर्माने या निलंबन के कारण लिखित रूप में, शिकायत प्राप्त होने या कार्रवाई शुरू होने के दस दिनों के भीतर बताए जा सकते हैं।

(2) जहां उप-पैरा (1) के खंड (ख) के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है और ऐसा उल्लंघन तीन महीने की अवधि तक जारी रहता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का धारक को सुनवाई का अवसर देने और तर्कसंगत आदेश पारित करने के बाद अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा, जो अनुज्ञप्ति का धारक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) इस पैरा के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगी,-

(क) वे उल्लंघन जिन्हें गंभीर और मामूली माना जाएगा; और

(ख) गंभीर और मामूली उल्लंघनों के लिए देय जुर्माने की राशि और वह तरीका तथा समय जिसके भीतर ऐसे जुर्माने का भुगतान किया जाएगा।

(4) जहां इस पैरा के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द किया जाता है, वहां अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी को सौंप देगा।

(5) इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, इस स्कीम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति निलंबित माना जाएगा यदि अनुज्ञप्ति का धारक पैरा 5 के उप-पैरा (iii) या पैरा 9 के उप-पैरा (x) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहता है।

12. अपील— पैरा 6 या पैरा 11 के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी से वरिष्ठ पद और समकक्षता का हो।

13. अपील की प्रक्रिया— (1) पैरा 12 के अधीन अपील अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश पर आक्षेपों के आधार बताते हुए ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी तथा इसके साथ राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट शुल्क भी संलग्न किया जाएगा।

(2) अपीलीय अधिकारी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहित सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, उचित आदेश पारित कर सकता है।

14. अनुज्ञप्ति का स्वैच्छया अभ्यर्पण— अनुज्ञप्ति का धारक किसी भी समय अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी को अपना अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर सकता है और ऐसे अभ्यर्पण पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा:

बशर्ते कि अनुज्ञप्ति का धारक अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने से पहले सभी लंबित मोटर वाहन कर, बकाया चालान या बकाया प्रयोक्ता शुल्क और अनुज्ञप्ति के संचालन की अवधि के दौरान देय अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा।

15. व्यावृत्ति एवं नवीकरण— किराए ए कैब स्कीम, 1989 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति अपनी वैधता अवधि के दौरान इस प्रकार लागू रहेंगे मानो वे इस स्कीम के अधीन जारी किए गए हों तथा इस स्कीम के अधीन उनका नवीकरण किया जा सकता है।

प्ररूप 1

[पैरा 4 देखिए]

मोटर कैब किराए पर देने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,

. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

आवेदन का प्रकार: अनुज्ञप्ति *प्रदान करने*/अनुज्ञप्ति का नवीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा निम्नलिखित के लिए आवेदन करता/करती हूँ:

¨ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मोटर कैब किराए पर देने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना.

¨ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मोटर कैब किराए पर देने के अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना.

यदि आपके पास पहले से अनुज्ञप्ति है, तो उसका विवरण:

अनुज्ञप्ति संख्या:

जारी करने की तिथि:

समाप्ति तिथि:

अनुज्ञापन प्राधिकारी:

1. आवेदक का पूरा नाम

1क. आधार संख्या (वैकल्पिक):

1ख. उद्यम आधार (यदि लागू हो)

1ग. पैन संख्या:

1घ. जीएसटीआईएन नंबर (यदि लागू हो):

1ङ. कॉपोरेट पहचान संख्या (यदि कोई हो):

2. (क) पूरा पता:

(ख) दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर:

3.

वैध परमिट के साथ धारित मोटर कैब की संख्या

4. अनुज्ञापन प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वे स्थान जहाँ आवेदक संचालन करना चाहता है:

क्र.स.	संचालन स्थल का पता या विवरण	शहर/कस्बा	तैनात किए जाने वाली मोटर कैब की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

5. मोटर कैब का विवरण

क्र.स.	पंजीकरण चिह्न	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	वह स्थान जहाँ मोटर कैब तैनात होगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. उस स्थान का पूर्ण विवरण जहाँ कारबार संचालित किया जाना है—

(क) स्थिति, खुला क्षेत्र, आवृत्त क्षेत्र

(ख) कोई अन्य विवरण

7. शुल्क विवरण

(क) आवेदन शुल्क: 25,000 रुपये

(ख) भुगतान का तरीका: _____

(ग) लेनदेन/संदर्भ संख्या: _____

टिप्पण: जहां लागू हो, मोटर कैब के अनुज्ञप्ति नंबर या पंजीकरण नंबर का विवरण प्रदान करने पर, अनुज्ञप्ति या मोटर कैब का विवरण, यदि वाहन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है, तो स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

मुझे मोटर कैब किराए पर देने के कारबार को संचालित करने की शर्तों की पूरी जानकारी है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान:
तारीख:

आवेदक के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/हस्ताक्षर

प्ररूप 2

[पैरा 7 देखिए]

संचालन स्थल को शामिल करने या हटाने तथा मोटर कैब को शामिल करने या हटाने के लिए आवेदन

सेवा में

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

आवेदन का स्वरूप: संचालन स्थल(स्थलों) या मोटर कैब(कैबों) का शामिल करना या हटाना

मैं, अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा निम्नलिखित के लिए आवेदन करता/करती हूँ:

संचालन स्थल(स्थानों) का शामिल करना

संचालन स्थल(स्थलों) को हटाना

मोटर कैब का शामिल करना

मोटर कैब को हटाना

अनुज्ञप्ति संख्या:
जारी करने की तिथि:
समाप्ति तिथि:
अनुज्ञापन प्राधिकारी:

1. आवेदक का पूरा नाम:

2. संचालन का स्थान:

क्र.स.	संचालन स्थल का पता या विवरण	शहर/कस्बा	तैनात किए जाने वाली मोटर कैब की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

3. मोटर कैबों का विवरण

क्र.स.	पंजीकरण चिह्न	चेसिस संख्या	इंजन संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

4. जहां कारबार किया जाना है संचालन स्थल (स्थानों) का पूर्ण विवरण

(क) स्थिति, खुला क्षेत्र, आवृत्त क्षेत्र

.....

(ख) कोई अन्य विवरण

.....

टिप्पण: जहां लागू हो, मोटर कैब के अनुज्ञप्ति नंबर या पंजीकरण नंबर का विवरण प्रदान करने पर, अनुज्ञप्ति या मोटर कैब का विवरण, यदि वाहन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है, तो स्वचालित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सही और सत्य है।

स्थान:
तारीख:

आवेदक के ई-हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/हस्ताक्षर।

प्ररूप 3

[पैरा 6 देखिए]

मोटर कैब किराए पर देने का अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति धारक का नाम:
अधिकार पत्र संख्या:
जारी करने की तिथि:
समाप्ति तिथि:

अनुज्ञापन प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे स्थान जहाँ आवेदक संचालन करना चाहता है:

क्र.स.	संचालन स्थल का पता या विवरण	शहर/कस्बा	तैनात किए जाने वाले मोटर कैब की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

क्र.स.	पंजीकरण चिह्न	वह संचालन स्थल जहाँ मोटर कैब तैनात है
(1)	(2)	(3)

मोटर कैब किराए पर देने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है।
यह अनुज्ञप्ति दिनांकको जारी किया गया है और तक वैध है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

नवीकरण

.....से तक नवीनीकृत किया गया।

राज्य परिवहन प्राधिकरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्ररूप 4

[पैरा 9 देखिए]

मोटर कैब किराए पर देने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा।

क्र.सं.	किराए पर देने वाले का नाम	पूरा पता	दूरभाष सं.	मोटर वाहन अनुज्ञप्ति संख्या	प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया	वाहन की श्रेणी	जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

समाप्ति तिथि	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट संख्या	प्राधिकरण और राज्य/राष्ट्र द्वारा जारी किया गया	पासपोर्ट जारी करने की तिथि	समाप्ति तिथि	पासपोर्ट के अनुसार जन्म तिथि	यदि कोई ड्राइविंग परमिट नंबर हो तो बताएं
9	9ए	10	11	12	13	14	15

ड्राइविंग परमिट जारी करने की तिथि	वाहन की वह श्रेणी जिसे चलाने की अनुमति है	किराए पर देने की तिथि और समय	वाहन लौटाने की तिथि और समय	मोटर वाहन कुल कितने किलोमीटर उपयोग में लाया गया	किराए पर देने वाले के हस्ताक्षर	टिप्पणी	क्या किराए पर देने वाले ने कोई शिकायत दर्ज कराई है (हां/नहीं)
16	17	18	19	20	21	22	23

टिप्पण: कॉलम 9ए में यह दर्शाया जाएगा कि किराए पर देने वाला भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक। कॉलम 10 से 17 केवल तभी भरे जाने आवश्यक होंगे जब किराए पर देने वाला विदेशी नागरिक हो।

[फा. सं. आरटी-11014/01/2026-एमवीएल]

(महमूद अहमद)
अपर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437(अ), 12 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित की गई थी।

Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
New Delhi

Dated the November, 2026

NOTIFICATION

S.O.(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 75 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the THE RENT-A-CAB SCHEME, 1989 issued vide number S.O. 437(E), dated the 12th June, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following scheme, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**— (1) This scheme may be called THE RENT-A-CAB SCHEME, 2026.

(2) It shall come into force on the first day of January, 2027.

2. **Definitions.**— In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "Form" means a Form appended to this scheme;

(c) "licence" means a licence granted or renewed under this Scheme to engage in the business of renting of motor cabs to persons—

(i) intending to drive the motor cab for his or her own use; or

(ii) requiring the motor cab to be provided on rent along with the services of driver for his or her own use;

(d) "licensing authority" means the State Transport Authority constituted under sub-section (1) of Section 68 of the Act;

(e) "place of operation" includes an airport, railway station, metro rail station, bus terminals and such other public places;

(f) "Renter" means a person who rents a motor cab from a licensee under this Scheme for his or her own use, with or without the services of a driver;

(g) "Rules" means the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

3. **Licensing of applicant under this Scheme.**— No person shall engage himself in the business of renting a motor cab, with or without the services of a driver on request by the user, under this Scheme without a licence issued under this Scheme.

4. **Application for grant or renewal of licence.**— (1) An application for the grant or renewal of a licence for operating the business of renting of motor cabs shall be made electronically in Form 1 to the licensing authority having jurisdiction in the State or Union Territory in which the applicant intends to set up place or places of operation within that State or Union Territory and shall be accompanied by an application fee of rupees twenty five thousand, irrespective of the number of motor cabs or places of operation proposed for operation.

(2) The application under Form 1 shall indicate the place or all places of operation where the applicant intends to operate the business of renting motor cabs.

5. **Conditions for consideration of application.**— A licensing authority shall, before granting or renewing a licence take into consideration the following, namely:—

(i) That the applicant has at least one customer care centre which is accessible through telephone throughout day and night, and has provided the details of such customer care centre on its website;

(ii) That the applicant has at least two motor cabs stationed at each place of operation and maintains not less than five motor cabs in total;

(iii) That the applicant, in respect of each motor cab—

(a) has paid the applicable motor vehicle tax;

(b) possesses the certificate of registration issued in the name of the applicant along with a valid fitness and pollution under control certificate;

(c) has obtained a comprehensive policy of insurance which includes coverage of the renter, driver or any other occupant of the motor cab upto the passenger capacity of the motor cab;

(d) does not have any pending challan related to any offence or contravention under the Act beyond the time period specified in rule 167 of the Rules, or any unpaid user fee, if any;

(e) validates that such motor cab is not listed in the Police Criminal Database of the National Crime Records Bureau; and

(f) has not completed nine years from the date of first registration of the motor cab.

(iv) That the applicant has engaged vehicle repair and towing services to provide repair and towing services to the renter within that State or Union Territory.

6. **Grant or renewal of licence.**— The licensing authority may, on receipt of an application in Form 1for grant or renewal of licence and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements, shall within a period of sixty days from the date of receipt of the application, electronically grant or renew the licence in Form 3:

Provided that licence shall not be granted or renewed where any licence under this Scheme previously granted to the applicant was revoked and the application is made within six months from the date of such revocation:

Provided further that the application shall be rejected if any condition for consideration of the application under paragraph 5 has not been fulfilled;

Provided also that no licence shall be renewed if the licensee has been in violation of any condition of the licence under paragraph 9 of this Scheme;

Provided also that no application for a licence shall be rejected by the licensing authority unless the applicant has been given an opportunity of being heard and reasons for such rejection are provided in writing by the licensing authority.

7. **Addition or removal of places of operation and motor cabs.**— (1) The licensee shall make an application electronically in Form 2 for addition or deletion, of any place or places of operation, or number of motor cabs proposed to be stationed at such places of operation, as the case may be.

(2) Upon receipt of application under sub-paragraph (1), the licensing authority shall allow or reject addition or removal of such places of operation or motor cabs, as the case may be, including through electronic means:

Provided that in no case, the number of motor cabs licensed for operation under this Scheme, shall fall below five;

Provided further that the application made under sub-paragraph (1) shall be deemed to have been approved if the licensing authority fails to either accept, or reject such application, within thirty days from the date of receipt of the application;

Provided also that no application by a licensee for addition or deletion under this paragraph shall be rejected by the licensing authority unless the applicant has been given an opportunity of being heard and reasons for rejection are provided in writing by the licensing authority electronically.

8. **Duration of licence.**— A licence granted or renewed under paragraph 6 shall be valid for a period of five years from the date of grant or renewal:

Provided that the duration of validity of the licence shall be reduced by a period of one year, or the remaining period of validity in case such remaining period is less than one year, where any motor cab maintained by the licensee or a driver provided by the licensee is used to commit an offence or contravention under section 180, section 185, section 190, section 192, section 192A, section 192B or section 196 of the Act.

9. **General conditions to be observed by the licensee.**— The licensee shall,—

(i) maintain an electronic register on VAHAN portal, as well as physical register with a separate page for such vehicle containing the particulars specified, in Form 4;

(ii) provide to law enforcement agencies such information, including information relating to the motor cab, renter and such other details consequent to the renting of a motor cab by a renter, as may be required by them in accordance with applicable law;

(iii) submit or provide electronically, from time to time, to the licensing authority such information and return as may be called for by it;

(iv) maintain a website and provide on such website the name, e-mail address, and telephone number(s) for redressal of grievances of the renter;

(v) ensure that any grievance raised on the website shall be resolved within a period of twenty-four hours;

(vi) conduct an inquiry, in the event a complaint is registered against the driver for violation of provisions of the Act, rules or this Scheme, from a renter, within a period of seven days from the date thereof, and only take appropriate action against the driver after completion of such inquiry. The licensee shall inform the renter of outcome of the said inquiry upon its completion;

(vii) provide vehicle repair and towing services, directly or indirectly, to the renter whenever required by the renter during use, including during any break-down;

(viii) only allow such person to rent who holds a valid driving licence, unless a driver is provided to the renter on a request being made by such renter or another driver who holds a valid driving licence is engaged by the renter other than from the licensee;

(ix) only keep motor cabs for rent at such places of operation for which prior approval has been granted by the licensing authority;

(x) ensure that the motor cabs maintained by the licensee,—

(a) have the registration mark displayed in accordance with the provisions of rule 50 of the Rules;

(b) have a provision for installation of at least one category of child restraint system for all weight groups on at least one of the seating positions and provide such child restraint system to any renter that requires it;

(c) are equipped with a vehicle location tracking device in accordance with rule 125-H of the Rules;

(d) follow such emission norms as may be specified by the State Government for the State or any urban area in the State, as the case may be, including any city specific fuel norms; and

(e) have a first-aid kit placed inside the motor cab;

(xi) ensure that any driver provided to the renter on a request being made by such renter,—

(a) possesses a valid driving licence and has no unpaid challan against such driver; and

(b) has their character and antecedents verified by the Police and maintain a written record of such verification; and

(c) has their welfare ensured under Code on Social Security, 2020.

10. **Duties and responsibilities of renters of motor cabs.**— (1) It shall be the duty of every rente, to ensure that the vehicle location and tracking device is functional at all times and immediately inform the licensee in case the vehicle location and tracking device is defective or non-functional.

(2) If a renter so desires, he or she may engage a person possessing a valid driving licence to drive the vehicle so hired during the period of the hire agreement.

11. **Power of licensing authority to suspend or revoke the licence.**— (1) The Licensing Authority, either on its own or pursuant to receipt of a complaint, after conducting an inquiry and giving the licensee an opportunity of being heard, including through electronic means, if satisfied that the licensee has contravened any provision of this Scheme or any condition of the licence,

(a) where such contravention is designated as a non-material contravention, impose a penalty of such amount as may be specified by the State Government, giving the reasons in writing for such imposition and specifying the time period within which such non-material contravention may be rectified, within ten days from receipt of such complaint or initiation of action; or

(b) where such contravention is designated as a material contravention, or where a non-material contravention has not been rectified within the time period specified under clause (a), impose a penalty of such amount as may be specified by the State Government, or suspend the licence for a period not more than three months or until the contravention is rectified to its satisfaction, or both, giving the reasons in writing for such imposition or suspension, as the case may be, within ten days from receipt of such complaint or initiation of action.

(2) Where the licence has been suspended under clause (b) of sub-paragraph (1) and such contravention continues for a period of three months, the licensing authority shall revoke the licence after giving the licensee an opportunity of being heard and passing a reasoned order which shall be provided to the licensee, including through electronic means.

(3) For the purpose of this paragraph, the State Government shall specify,—

(a) the contraventions which shall be treated as material and as non-material; and

(b) the amount of penalty payable for material and non-material contraventions and the manner and time within which such penalty shall be paid.

(4) Where a licence is suspended or revoked under this paragraph, the licensee shall surrender the licence to the licensing authority.

(5) Notwithstanding anything contained in this Scheme, a licence granted under this Scheme shall be deemed as suspended if the licensee fails to comply with requirements of sub-paragraph (iii) of paragraph 5 or sub-paragraph (x) of paragraph 9.

12. **Appeal.**— Any person aggrieved by any order of the licensing authority under paragraph 6 or paragraph 11, may within 30 days of the receipt of the order, appeal to such officer, notified by the State Government or Union Territory Administration, of rank and equivalence senior to the licensing authority.

13. **Procedure for appeal.**— (1) An appeal under paragraph 12 shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth the ground of objections to the order of the licensing authority and shall be accompanied by a fee as may be specified by the State Government, by notification, in the Official Gazette.

(2) The appellate officer may after giving an opportunity to the parties to be heard, including electronically, and after such inquiry as it may deem necessary, pass appropriate orders.

14. **Voluntary surrender of the licence.**— The licensee may at any time surrender the licence issued to him to the authority which granted the licence and, on such surrender, the licensing authority shall revoke the licence:

Provided that the licensee before surrendering the licence shall pay all pending motor vehicle taxes, unpaid challans or unpaid user fees and such other dues as may be payable during the period of operation of the licence.

15. **Saving and renewal.**— The license issued under the Rent a Cab Scheme, 1989 shall continue to be in force during their validity period as if they were issued under this Scheme and may be renewed under this Scheme.

Form 1

[*See* paragraph 4]

Application for grant or renewal of licences for renting motor cabs

To

The State Transport Authority,
. State/UT

Nature of application: GRANT OF LICENCE / RENEWAL OF LICENCE

I, the undersigned hereby apply for:

¨ grant of licence for renting motor cabs in the State/UT of

¨ renewal of licence for renting motor cabs in the State/UT of

Particulars of Licence, if already held:
Licence No.:
Date of issue:
Date of expiry:
Licensing authority:

1. Full name of Applicant
1A. Aadhaar number (optional):
1B. Udyam Aadhaar (if applicable)
1C. PAN number:
1D. GSTIN number (if applicable):
1E. Corporate Identification Number (if any):
2. (a) Full address:
(b) Telephone No./Mobile No.:
3.
No. of motor cabs held with valid permits
4. Place(s) of operation within the jurisdiction of the licensing authority, where the applicant intends to operate:

Sr. No.	Address or description of place of operation	City/town	Number of motor cabs proposed to be stationed
(1)	(2)	(3)	(4)

5. Particulars of motor cabs

Sr. No.	Registration Mark	Chassis Number	Engine Number	Place where motor cab will be stationed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Full description of the place where the business is to be carried on—
 (a) Location, open area, covered area
 (b) Any other particulars

7. Fee particulars
 (a) Application fee: Rs. 25,000/-
 (b) Mode of payment: _____
 (c) Transaction/reference number: _____

Note: Upon providing the particulars of the licence number or registration number of motor cabs, where applicable, the particulars of the licence or of motor cabs, where available through the VAHAN portal, shall be auto-fetched electronically through it.

I am conversant with the conditions for carrying the business for renting of Motor Cabs

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are correct and true.

Place:
Date:

e-Signature/Digital Signature/Signature of Applicant.

Form 2

[*See* paragraph 7]

Application for addition or removal of place of operation and addition or removal of motor cabs

To

The State Transport Authority,
. State/UT

Nature of application: ADDITION OR REMOVAL OF PLACE(S) OF OPERATION OR OF MOTOR CAB(S)

I, the undersigned hereby apply for:

- ¨ Addition of place(s) of operation
- ¨ Removal of place(s) of operation
- ¨ Addition of motor cab(s)
- ¨ Removal of motor cab(s)

Licence No.:
Date of issue:
Date of expiry:

Licensing authority:

1. Full name of Applicant:

2. Place(s) of operation:

Sr. No.	Address or description of place of operation	City/town	Number of motor cabs proposed to be stationed
(1)	(2)	(3)	(4)

3. Particulars of motor cab(s)

Sr. No.	Registration Mark	Chassis Number	Engine Number
(1)	(2)	(3)	(4)

4. Full description of place(s) of operation where the business is to be carried out
 (a) Location, open area, covered area

 (b) Any other particulars

Note: Upon providing the particulars of the licence number or registration number of motor cabs, where applicable, the particulars of the licence or of motor cabs, where available through the VAHAN portal, shall be auto-fetched electronically through it.

I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the particulars given above are correct and true.

Place:
Date:

e-Signature/Digital Signature/Signature of Applicant.

Form 3

[*See* paragraph 6]

Licence for renting motor cabs

Name of the licensee:
Licence number:
Date of issue:
Date of expiry:

Place(s) of operation within the jurisdiction of the licensing authority, where the applicant intends to operate:

Sr. No.	Address or description of place of operation	City/town	Number of motor cabs proposed to be stationed
(1)	(2)	(3)	(4)

Sr. No.	Registration Mark	Place of operation where the Motor Cab is stationed
(1)	(2)	(3)

is licensed to rent motor cab.
This licence is issued on and is valid up to

State Transport Authority State/UT

Renewal

Renewed from to

State Transport Authority State/UT

Form 4

[*See* paragraph 9]

Register to be maintained by Rent a Motor Cab Licensee

Sl. No.	Name of Renter	Full Address	Mobile No.	Motor Driving Licence No.	Issued by (Authority)	Class of vehicle	Date of Issue
1	2	3	4	5	6	7	8

Date of Expiry	Nationality	Passport No.	Issued by the Authority and State/Nation	Date of issue of passport	Date of Expiry	Date of birth as per passport	Driving permit No. if any
9	9A	10	11	12	13	14	15

Date of issue of Driving permit	Class of vehicle authorised to drive	Date and Time of Hire	Date and time of returning vehicle	Motor vehicle used for total Kms.	Signature of Renter	Remarks	Whether Renter has registered any complaint (Yes/No)
16	17	18	19	20	21	22	23

Note: Column 9A shall indicate whether the renter is an Indian national or a foreign national. Columns 10 to 17 shall be required to be filled in only where the renter is a foreign national.".

[F. No. RT-11014/01/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED

Additional Secretary to the Government of India

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 437(E), dated the 12th June, 1989 and was last amended vide notification number S.O. _____(E), dated the _____, _____.